जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 84 प्रभात उदयपुर, रविवार 26 जनवरी, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

इस सप्ताह साठ वर्ष पूर्व चर्चिल की मृत्यु हुई थी

क्या यह सही समय नहीं, आज हमारे गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगाँठ के दिन चर्चिल की भारत के मुताल्लिक भूमिका का पुर्नमूल्यांकन करने के लिए?

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 जनवरी। पिछले कुछ समय से, सर विंस्टन चर्चिल के जीवन और समय में बहुत रूचि बढ़ी है, जिनका साठ वर्ष पूर्व, 24 जनवरी 1960 को निधन हो गया था।

भारत के गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर, उस काल के ऐतिहासिक व्यक्तियों की भूमिकाओं पर नए दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं, जब भारत उपनिवेश से एक सम्प्रभु राज्य में परिवर्तित हो रहा था।

भारतीय दृष्टिकोण से, क्लैमेंट ऐटली चर्चिल जितने महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ते है। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में ऐटली ने समय की ज़रूरतों को कहीं अधिक गहराई और समझदारी से महसूस किया था, जबकि, चर्चिल "सैल्फ आब्सैस्ड" थे।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1950 के दशक की शुरूआत में, बी.बी.सी. के साथ एक इंटरव्यू में भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने के ऐटली के फैसले के संदर्भ में बात की थी। हालांकि, उन्हें उस समय ऐटली के निर्णय का कारण स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने महसूस किया था कि इस संदर्भ में ऐटली की "स्टेट्मैनशिप" की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।

- भारत के दृष्टिकोण से चर्चिल के बाद इंगलैंड के प्र.मंत्री बने क्लैमेंट एटली की भूमिका ज्यादा समझदारीपूर्ण व समय संगत थी।
- द्वितीय विश्व के हीरो विंस्टन चर्चिल भारत को ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा बनाए रखने की कल्पना में ही बसर कर रहे थे, जबकि एटली भारत से इंगलैंड की सम्मानजनक वापसी को विकल्प मान रहे थे।
- एटली ने 1920 के दशक में हिन्दुस्तान का विस्तार से दौरा किया था तथा स्वतंत्रता आंदोलन का जमीनी असर देखकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने की व्यवहारिकता को पहचाना था।
- एक मत यह भी है, चर्चिल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गंभीरता को समझ नहीं पाये, बल्कि, भारत के प्रति असंवेदनशीलता का कलंक भी उन पर 1942, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगा था।
- चर्चिल ने बंगाल के लिये भेजे गये अनाज से भरे जहाजों को "डाइवर्ट" करके ब्रिटिश सेना की खपत के लिये भेजने का निर्णय लिया था, जिससे "ग्रेट बंगाल फैमिन", बंगाल में भारी भूखमरी फैली थी।

ब्रिटेनवासी जहां आजकल चर्चिल की जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे है, वहीं यह भी बता दें कि चर्चिल के दिलों दिमाग पर भारत एक जुनून की तरह छाया हुआ था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली चुनावी हार के बाद, जब वो सत्ता में नहीं थे, तब भी चर्चिल भारत को इंगलैंड के अंग के रूप में देखते थे। वो किसी भी हाल में "भारतीय संपत्तियों" से जुड़े रहना चाहते थे।

इस दृष्टिकोण से युद्ध खत्म होने तक चर्चिल "आउटडेटेड" हो गए थे। चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री बने क्लैमेंट ऐटली बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने वाले आधुनिक सोच वाले व्यक्ति थे। वे समझ गए थे कि सम्मानजनक तरीके से भारत छोड़ देना ही एक मात्र विकल्प है। हालांकि ब्रिटेन की भारत से वापसी की प्रक्रिया काफी अव्यवस्थित और भयावह रही लोग इसमें मारे गए।

भले ही चर्चिल की वॉर हीरो के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। शनिवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली तथा सुषमा स्वराज को मरणोपरान्त दूसरा सर्वोच्च अवॉर्ड "पद्म विभूषण" प्रदान करने की घोषणा की गई। इसी प्रकार, मरणोपरान्त पद्म विभूषण अवॉर्ड जॉर्ज फर्नान्डीज तथा उडुपी के आध्यात्मिक गुरु विश्वेषातीर्थ स्वामी को देने की घोषणा की गई। मणिपुर की स्पोर्ट्स स्टार एम.सी. मैरी कोम, मॉरीशस के अमेरुद जुगनाय तथा उत्तर प्रदेश के छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण दिये जाने की भी घोषणा भी की गई है।

देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में उपरोक्त सात पद्म विभूषण पुरस्कारों के अतिरिक्त 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं, दस विदेशी, एन.आर.आई., पी.ई.ओ. और ओ.सी.आई. श्रेणी के है। तेरह हस्तियों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं।

अवकाश की सूचना

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रदूत कार्यालय में अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक 28 जनवरी को प्रकाशित होगा।

-प्रधान सम्पादक

तुरंत प्रभाव से विदेशों को मदद के सभी प्रस्ताव व कार्यक्रम स्थगित किये

अमेरिका के विदेश मंत्रालय के इस आदेश में केवल दो अपवाद मंजूर किये गये हैं, मिस्र इज़रायल व मित्र को दी जाने वाली सहायता के प्रस्ताव

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमैंट के एक आदेश पर शुक्रवार को मौजूदा सभी विदेशी सहायता के लिये "स्टाप वर्क" आदेश जारी कर दिया गया। यह कदम राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के एक आदेश की अनुपालना में उठाया गया।

स्टेट डिपार्टमैंट के फॉरेन एड ब्यूरो द्वारा ड्राफ्ट किये गये तथा सैक्रेटरी ऑफ स्टेट, मार्को रूबियों द्वारा अनुमोदित केवल में कहा गया कि इज़रायल तथा मिस्र के सैन्य वित्तीय पोषण के लिए छूट दी गई है। इनके अलावा, केबल में किसी अन्यदेश का उल्लेख नहीं किया गया है।

सोमवार को, अपना पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही, ट्रम्प ने विदेशी विकास सहायता को 90 दिन के रोकने के आदेश दिये थे। इस बीच, उनकी विदेश नीति की क्षमताओं और जारी रखे जाने की समीक्षा लम्बित रहेगी।

लेकिन इस आदेश के क्षेत्र की जानकारी तुरन्त नहीं मिल सकी थी तथा यह अस्पष्ट था कि कौन-कौन सी फन्डिंग रोकी जायेंगी, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस संघीय सरकार का बजट तैयार करती है।

- आदेश के अनुसार, सैक्रेटरी ऑफ स्टेट (विदेश मंत्री) मार्को रुबियो अगले 85 दिनों में अमेरिका द्वारा विदेशों में दी जा रही सहायता की सार्थकता व इफैक्टिवनैस" का मुआयना करेंगे तथा फिर इस मूल्यांकन के बाद निर्णय लेंगे कि किन देशों को किन-किन प्रोग्रामों के अंतर्गत सहायता दी जाये या नहीं।
- जैसा कि विदित ही है, राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की थी कि अमेरिका द्वारा विदेशों को दी जा रही सहायता को 90 दिन "स्टॉप वर्क" के आदेश से स्थगित किया जायेगा। ट्रम्प की इस घोषणा के अंतर्गत अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अन्य देशों को दी जा रही सहायता के मुताल्लिक यह स्थगन आदेश निकाला है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प का उक्त आदेश गैर कानूनी है क्योंकि इस कांग्रेस में चुनौती मिलना तय है।

एक विशेषज्ञ ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, "इन अंतर्राष्ट्रीय निवेशों को फ्रीज कर देने से हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर इसकी पूर्ति के लिये फन्डिंग पार्टनर तलाश करेंगे, जो या तो अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा रखने वाले होंगे या उसके विरोधी। तथा जब तक यह गैर कानूनी रोक जारी रहेगी, वे देश अमेरिका के प्रभाव की जगह जरूरतमंद देशों पर अपना प्रभाव कायम रखेंगे।"

स्टेट डिपार्टमैंट का मीमो, जो तत्काल प्रभावी हो गया है, में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी "यह सुनिश्चित करेंगे कि, कानून के अंतर्गत अधिकतम सीमा तक, विदेशी सहायता के लिये तब तक और कोई नया अनुबंध नहीं किया जायेगा", जब तक रुबियो, समीक्षा के बाद, कोई निर्णय नहीं ले लेते।
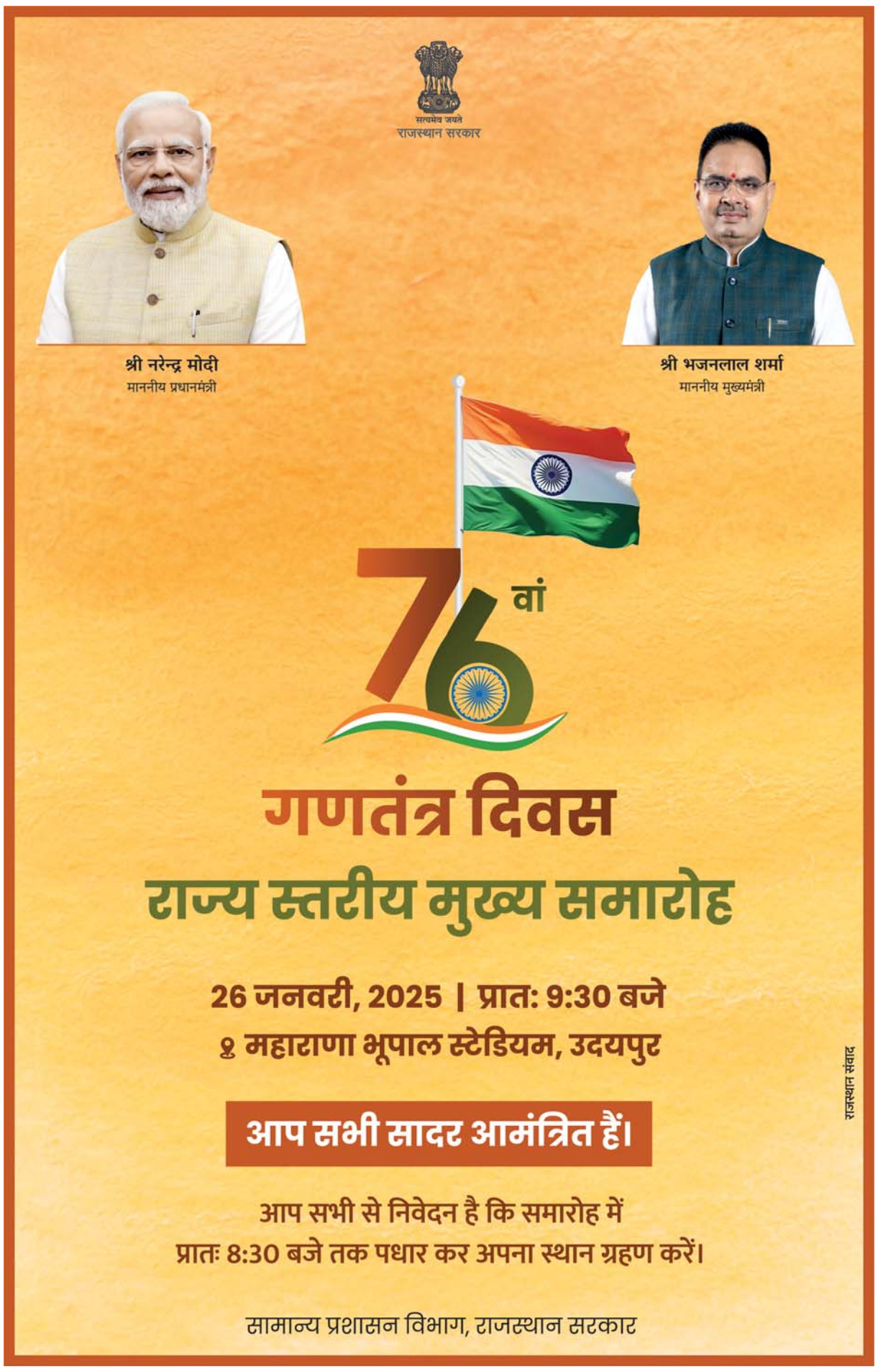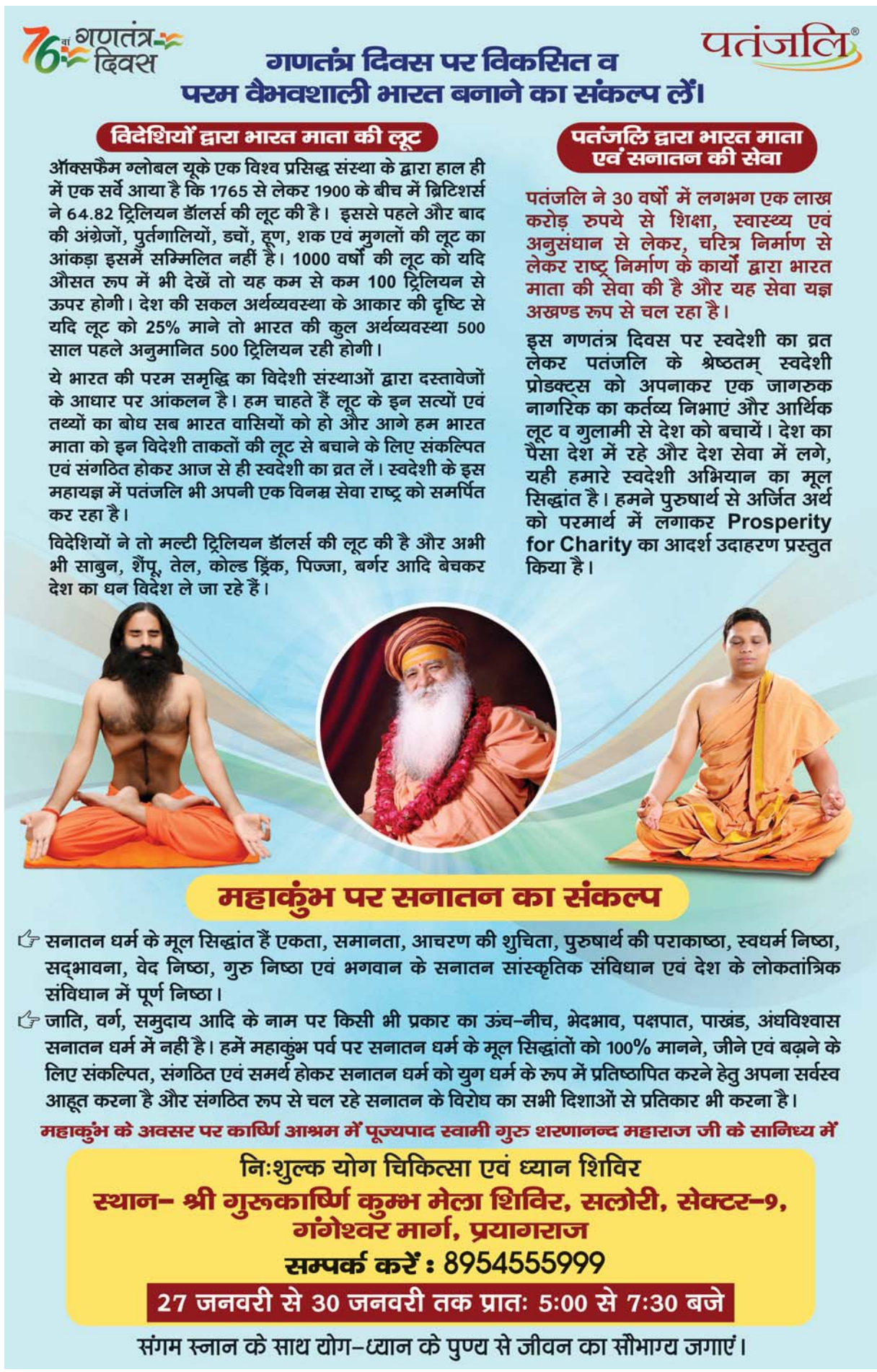
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)